आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नामान्तरण वाद संख्या 11/2014–15

(वीरेन्द्र तिवारी बनाम सुरेन्द्र सिंह वगै0)

आदेश

यह अपील वाद वीरेन्द्र कुमार तिवारी पिता स्व0 गणेश तिवारी ग्राम–झुरा, थाना वो जिला–गढ़वा द्वारा अंचल अधिकारी, गढ़वा के नामान्तरण वाद संख्या 440/14–15 में ग्राम–झुरा, खाता–115, प्लॉट–524, रकबा–0.69 एवं प्लॉट–525, रकबा–0.06 एकड़ भूमि संबंधी दिनांक 12.06.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन दिनांक 30.09.2014 को दाखिल किया गया जिस पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात 09.02.2015 को अंगीकृत किया गया तथा निम्न न्यायालय से उक्त नामांतरण वाद सं0 440/2014–15 का मूल अभिलेख की मांग पत्रांक 52 दिनांक 14.02.2015 द्वारा किया गया साथ ही प्रत्यार्थी को इस वाद में पक्ष रखने हेतू नोटिस निर्गत किया गया तत्पश्चात अंचल अधिकारी, गढ़वा के पत्रांक 137 दिनांक 27.02.2015 द्वारा नामांतरण वाद सं0 440/2014–15 का मूल अभिलेख प्राप्त हुआ तथा प्रत्यार्थी भी उपस्थित होकर जवाब एवं दस्तावेज दाखिल किये।

वाद की पुकार की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित होकर तर्क प्रस्तुत किये। द्वितिय पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुए। इस क्रम में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि ग्राम–झुरा के खाता सं0–115 प्लॉट–524 एवं 525 के रकबा क्रमशः 0.69 एवं 0.06 कुल रकबा 0.75 ए0 भूमि का अंचल अधिकारी, गढ़वा के न्यायालय में नामान्तरण वाद संख्या 440/2014–15 के तहत प्रत्यार्थी के आवेदन पत्र पर रा0 कर्म0/अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी को बिना नोटिस किये दिनांक 12.06.2014 को आदेश पारित कर दिया गया है, जबकि उक्त मांग पूर्व में स्थगित था जिसकी जानकारी होने के पश्चात् एवं नकल लेकर यह अपील दाखिल की गयी है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश 12.06.2014 अनियमित, अवैध, विधि विरूद्ध है जो खारिज किये जाने योग्य है, निम्न न्यायालय के नामान्तरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से भी स्पष्ट हो जायेगा की प्रत्यार्थी का नाम नामान्तरण की स्वीकृती अनियमित अवैध एवं विधि विरूद्ध रूप से दी गई है। जैसा की नामान्तरण पंजी में अंकित है कि भूलवश वाद सं0 अंकित पूर्व माह में नहीं किया गया था। अपीलार्थी को नामान्तरण वाद

Scanned with CamScanner

सं0 440/14–15 में पारित आदेश दिनांक 12.06.14 की जानकारी नहीं थी। चूँकि उसे न तो नोटिस दी गई है और न ही उन्हें सुना गया है। जबकि उक्त वाद में अपीलार्थी का आपति पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक 270 दिनांक 20.05.2014 के द्वारा निम्न न्यायालय से प्राप्त हुई थी। परंतु निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 12.06.2014 की जानकारी जैसे ही अपीलार्थी को हुई वैसे ही प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करके यह अपील दाखिल की गई है। इस प्रकार अंचल अधिकारी गढ़वा द्वारा पारित नामान्तरण आदेश आधारहीन एवं गलत है जिसे खारीज किया जाए।

प्रत्यार्थी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है। प्रत्युत्तर के माध्यम से उनका कहना है कि अपीलार्थी का अपील आवेदन पूर्णतः अवैधानिक एवं निराधार है अंचल अधिकारी द्वारा नामान्तरण वाद सं0 440/14–15 में पारित आदेश नियम संगत एवं सही है। नामान्तरण वाद सं0 440/2014–15 का संबंधित भूमि ग्राम–झुरा के प्लॉट 524 एवं 525 का रकबा 0.75 एकड़ है जिसका मांग इस नामांतरण आदेश के पूर्व विजय नंदन सिंह के नाम से राजस्व पंजी–II पर चल रहा था। विजय नंदन सिंह का मांग नामांतरण वाद सं0 521/1984–85 के आदेश के आधार पर जमाबंदी कायम हुआ था। जिसके विरूद्ध विरेन्द्र कुमार तिवारी ने विविध वाद सं0 06/2012–13 के तहत अपील दायर किया गया था जो सुनवाई के पश्चात दिनांक 03.03.2014 को अपील आवेदन खारीज हो गया। उनका यह भी तर्क है कि विजय नंदन सिंह के मृत्यु के बाद उनकी विधवा मनबरत कुंवर उतराधिकारी हुई और मनबरत कुंवर ने बिक्रीनामा सं0 5302/5217 दिनांक 30.10.2012 के द्वारा ग्राम–झुरा का प्लॉट 524 एवं 525 भूमि प्रत्यार्थीगण (सुरेन्द्र सिंह वगै0) को बिक्री कर दिया। प्रत्यार्थी द्वारा उक्त खरीदगी जमीन के नामान्तरण के लिए आवेदन पत्र अंचल अधिकारी, गढ़वा को दिया गया जिसका नामान्तरण वाद सं0 440/2014–15 के तहत वाद स्थापित किया गया तथा उस पर विधिवत जाँच पड़ताल करने के बाद प्रत्यार्थी के नाम से जमाबंदी कायम किया गया। परंतु प्रश्नगत भूमि का मांग अपीलार्थी या उनके पिता अथवा दादा के नाम से नहीं है। प्रश्नगत भूमि रामबृक्ष तिवारी ने आपसी बदलैन के तहत रजिस्ट्री बदलैनामा संख्या 3648 दिनांक 10.07.1973 द्वारा विजय नंदन सिंह को हस्तान्तरित कर दिया और दखल अधिकार सौंप दिया लेकिन बदलैनामा संख्या 3648 तिथि 10.07.1973 में प्लॉट संख्या गलत दर्ज हो गया था। अतः रामबृक्ष तिवारी

Scanned with CamScanner

के नावल्द मृत हो जाने के बाद इनके सगे भाई के पुत्र व उतराधिकारी गणेश तिवारी ने रजिस्ट्री सुधारनामा संख्या 5130 दिनांक 19.06.1984 के द्वारा उक्त बदलैन को सही मानते हुए प्लॉट न0 को सुधार कर दिये। गणेश तिवारी अपीलार्थी विरेन्द्र कुमार तिवारी के पिता है और गणेश तिवारी के द्वारा उपरोक्त बदलैन की रजिस्ट्री सुधारनामा केवाला को सही माना गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम–झुरा के खाता संख्या 115 प्लॉट 524 एवं 525 अंतर्गत रकबा 0.75 ए0 का मांग विजयनन्दन सिंह के नाम से दाखिल खारिज वाद संख्या 521/1984–85 के तहत कायम है। विजय नंदन सिंह की विधवा पत्नी द्वारा प्रत्यार्थीगण को बिक्रीनामा सं0 5302/5267 दिनांक 30.10.12 के द्वारा भूमि बिक्री किया गया है। उक्त विषयवस्तु के संबंध में उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक 133/स्था0 दिनांक 18.02.16 द्वारा वादगत भूमि के संदर्भ में सरकार के उप सचिव कर्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड, रांची को भेजा गया जांच प्रतिवेदन जो अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक 21 दिनांक 19.01.16 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा को भेजा गया पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जांच प्रतिवेदन के पारा 6 में रिजस्टर 02 के पेज न0 61/2 पर स्थगित मांग के विरूद्ध तत्कालीन पदाधिकारी के द्वारा उक्त संगीन आदेश के आलोक में बिना कोई आदेश प्राप्त किए ही नामान्तरण प्रस्ताव हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा नामान्तरण वाद 440/14–15 स्वीकृती हेतु पस्ताव तत्कालीन अंचलधिकारी, गढ़वा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा उक्त पदाधिकारी द्वारा उक्त नामान्तरण वाद को स्वीकृत कर दिया गया जो विधि सम्वत नहीं है। साथ ही साथ यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि तत्कालीन हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या 440/14–15 में नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा प्रतिवेदन वास्तविकता को छुपाते हुए प्रस्तुत किया गया। जिस पर तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा नामान्तरण की स्वीकृती दे दी गई है। मांग पंजी–II में संगीन आदेश को विलोपित किए बिना ही नमान्तरण का प्रक्रिया किया गया जो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर का है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा के प्रतिवेदन पर सम्मक विचारोपरान्त अंचल अधिकारी, गढ़वा द्वारा नामान्तरण वाद संख्या 440/2014–15 में दिनांक 12.06.2014 को पारित

Scanned with CamScanner

आदेश को निरस्त करते हुए दाखिल अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय में नामांतरण वाद सं0 440/2014–15 का मूल अभिलेख के साथ अंचल अधिकारी, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

05/06/17

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार
गढ़वा।

05/06/17

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार
गढ़वा।

Scanned with CamScanner